FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the [[presult of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legistative Assembly of Rajasthan from Sagwara-160(ST) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions' contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Ramprasad Village and Post Tamboliya Tehsil Galiyakot, District Dungarpur sponsored by Bhartiya Tribal Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Dungarpur

The same

Date- 11 December

Signature.

Returning Officer विधान सभा ैन-सामवाडा(160) (एस.डी.ओ.) सामवाडा

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखें) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए,)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र 160—सागवाडा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री रामप्रसाद मु.पो. तम्बोलिया, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर भारतीय ट्रायबल पार्टी द्वारा प्रयोजित को उपर्यूक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान डूंगरपुर तारीख 11 दिसम्बर 2018

विकास अधिकार के किया है।

(राजीव द्विवेदी) रिटर्निग ऑफिसर

160—सागवाडा (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं अपखण्ड मुज़िस्ट्रेट) सागवाडा (एस.डी.ओ.) सागवाडा